(110) (12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5326-दो/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-03-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 23/अपील/11-12.

मो. हनीफ मुसलमान तनय गुलशन मुसलमान
निवासी-ग्राम जियावन तहसील देवसर जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

गुलशन तनय फलई वक्स मुसलमान
निवासी ग्राम जियावन तह0 देवसर जिला सीधी म0प्र0

.....अनावेदक

श्री रामाश्रय शुक्ला अधिवक्ता, आवेदक
श्री विवेक शर्मा अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 18-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील देवसर के रा.प्रकरण क्रमांक 41/अ-74/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 08-06-98 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर जिला सीधी के न्यायालय में अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31-05-99 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण

क्रमांक 23/अपील/11-12 दर्ज कर दिनांक 18-03-2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना किसी सक्षम आदेश के पटवारी द्वारा आवेदक का नाम अनावेदक की भूमि पर 1/2 भाग पर खसरा के कॉलम न. 3 में दर्शा दिया। इस प्रकार की अवैध प्रविष्टी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। इसको सुधार किये जाने बावत आवेदन अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने त्रुटि सुधार का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलीय आदेश पारित करते समय इस विधिक त्रुटि पर गौर नहीं किया कि बिना सक्षम अधिकारी के प्रविष्टि के आवेदक का नाम किस प्रकार जोडा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के ओदश को निरस्त करने में त्रुटि की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त् ने विस्तृत विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर तहसीलदार के आदेश को उचित माना है, जो उचित प्रतीत होता है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 14-6-2006 स्थिर रखा जाता है।

23/1/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर